

Form No. 78 (Rule 40S) at page 590 of the Settlement Manual, 1927.

श्रीमती इतिथान ।

सम दशा 14774  
 वाम धारा 215/211

परामा धारा नम्बर 211

श्रीमती इतिथान ।  
 215/211

वसिष्ठान का रिजिस्ट्रार नं०  
 वाम दशातो, रिजारा का नाम,  
 वारि व वार वार ।

बेरी ।	वारी ।	वारी ।	वारी ।
वारी ।	वारी ।	वारी ।	वारी ।

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।



Required to be a True Copy of the  
 rights, finally framed and  
 under Section 83 (2) of  
 Tenancy, Act on  
 P. 201 1956  
 Certificate of final Publication

SHAR 1967  
 Settlement Office  
 Hazaribagh

215/211

वारी ।  
 वारी ।  
 वारी ।



## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : ee1a37a48a1b8c1e8271

Receipt Date : 27-Jun-2022 01:57:54 pm

Receipt Amount : 100/-

Amount In Words : One Hundred Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Koderma

Stamp Duty Paid By : Upender Rajak


Purpose of stamp duty paid : Batwaranama

First Party Name : Surendra Rajak

Second Party Name : Upender Rajak

GRN Number : 2211874809

- This stamp paper can be verified in the jharkhandjan site through receipt number -



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

सुरेंद्र राजक

उपेंद्र राजक

उपेंद्र राजक

Identified the Deposant  
B. Chandra  
Advocate, Koderma

Dr. B. Chandra Mohan Ayya  
Notary Public  
Koderna (Unarkhond)


### बंटवारानामा

प्रथम पक्ष :- सुरेन्द्र रजक पिता- स्व० छट्टू राम रजक, साकिन- गौरीशंकर मोहल्ला, पोस्ट- झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा (झारखण्ड) आधार नं०- 9538 5436 0994 ।

द्वितीय पक्ष :- उपेन्द्र रजक पिता- स्व० छट्टू राम रजक, साकिन- गौरीशंकर मोहल्ला, पोस्ट- झुमरी तिलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा (झारखण्ड) आधार नं०- 7258 4345 6933 ।

खाता नं०- 1291, प्लॉट नं०- 7434, रकवा- 07 डी०, (सात डी०) का बंटवारा ।

### वंशावली



यह कि हमलोग चारो सहोदर भाई है चूंकि हमारे पिताजी एवं माता कां स्वर्गवास हो चुका है इसलिए हमलोग आपस में उपरोक्त खाता वो प्लॉट वो रकवा की जमीन पर अपने हिस्सेदारी में आये जमीन पर मकान बनवाने हेतु नक्शा के लिए यह बंटवारानामा बनाया ।

यह कि उपरोक्त खाता, वो प्लॉट वो रकवा हमारे दादा स्व सोमर धोबी के नाम से खतियानी दर्ज है जिसकी रसीद भी कटती आ रही है ।

2. यह कि संलग्न नक्शे के अनुसार हमलोग, आपसी बंटवारा किये है, ताकि सभी भाई राजी- खुशी से रह सकें ।

उपेन्द्र रजक

Identified the Deponent  
B. Chandra Mohan Ayya  
Advocate, Koderna  
28/6/22

उपेन्द्र रजक  
उपेन्द्र रजक  
उपेन्द्र रजक



3. यह कि अब बंटवारा होने के बाद प्रथम पक्ष सुरेन्द्र रजक और द्वितीय पक्ष उपेन्द्र रजक अपने अपने नाम से अलग-अलग नगरपालिका से टैक्स रसीद वो होलडिंग नं०- प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने अपने नाम से बिजली तथा पानी का कनेक्शन ले सकते हैं एवं अपना-अपना शौचालय की व्यवस्था करेंगे इसमें किसी भी पक्ष एवं उनके वारिशान को कोई एतराज नहीं होगा और ना ही भविष्य में होगी।
4. यह कि अब प्रथम पक्ष सुरेन्द्र रजक और द्वितीय पक्ष उपेन्द्र रजक अपने अपने हिस्से का उपयोग अपनी सुविधा अनुसार करेंगे।
5. यह कि आपसी समहति से दो भाई चाहे तो अपनी सुविधानुसार मिलकर मकान बना सकते हैं।

यह कि उपरोक्त सारी बातें पढ वो पढवाकर अच्छी तरह से सुन वो समझकर सही लिखा पाकर आज दिनांक 28/06/2022 को कोडरमा कोर्ट परिसर में अपना-अपना हस्ताक्षर बनायें जो समय पर काम आवे वो प्रमाण रहें।


प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

सुरेन्द्र रजक

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

उपेन्द्र रजक

Identified the  
Signature/R.T./L.T./  
of Dependent/Depnents  
Who made in Presence  
of B.C. Gupta  
28/6/2022



उपेन्द्र रजक


Sunder Rajak  
Upendra Rajak  
Who has been  
Notified by  
B.C. Gupta  
Govt. Notary  
before me

B.C. Gupta  
Govt. Notary

28-06-2022

PLAN PREPARED FOR DIVISION

DETAILS OF LAND : MOUZA- TELAIYA P.S. NO. - 254, P.S.- TELAIYA. KHATA NO. -1291, WARD NO. 10, DIST- KODERMA (JHARKHAND)



KHATA NO.  
1291

PLOT NO.  
7434

TOTAL AREA  
7 DEC.

BOUNDRY: NORTH : HOUSE OF PUNAM CHAND  
SOUTH: PCC ROAD  
EAST : PAKKI ROAD  
WEST : KAMESHWAR SINGH

THIS 7 DEC. LAND IS DIVIDED AMONG FOUR BROTHERS

(A) MAHENDRA KUMAR RAJAK- UIDAI NO.- 630606506780

(B) ARJUN RAJAK, UIDAI NO.- 359032088912

(C) UPENDRA RAJAK UIDAI NO.- 725843456933

(D) SURENDRA RAJAK, UIDAI NO.- 953854360994

S/O CHHOTU RAM RAJAK, AT- TELIAYA, WARD NO. 10, P.S.- TELAIYA, P.O.- TELAIYA, DISTRICT- KODERMA, STATE- JHARKHAND

54'-6"

13'-5"

MAHENDRA KUMAR RAJAK  
AREA= 746 SQ. FEET

14'-2"

53'-10"

13'-5"

ARJUN RAJAK  
AREA= 740 SQ. FEET

14'-3"

53'-3"

27'

28'-1"

26'-3"

27'-7"

UPENDRA RAJAK  
AREA= 751 sq. feet

SURENDRA RAJAK  
AREA= 725 sq. feet

28'-7"

27'

25'

20' ROAD

13' ROAD

सुरेन्द्र राजक

DRAWN BY

श्री सुदीप